

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

विमुक्त्यादेश

ज्ञापांक-पु0/सू0/केन्द्र/नि0/प्राधिकार-54/2019.....105..... पटना, दिनांक.....07/09/2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)

बिहार पटना ।

औपचारिक रूप से

परामर्शित द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन (31-06) मद में स्वीकृत की गयी रु०-25,00,000=00 (पच्चीस लाख रुपये) मात्र की राशि में से द्वितीय चौमाही अन्तर्गत तत्काल रु०-8,00,000=00 (आठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

उद्देश्य:-

खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत विषय शीर्ष-0009-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में रु०-25,00,000=00 (पच्चीस लाख रुपये) मात्र के राशि का उपबंध के आलोक में विभागीय स्वीकृति सं०-30, दिनांक-25.05.2026 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए 33 प्रतिशत के आधार पर रु०-8,25,000=00 (आठ लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जिसके आलोक में उक्त राशि को प्रश्नगत पुस्तकालय के संचालन हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है।

वित्त विभाग के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय चौमाही अन्तर्गत बजटीय उपबंध के आलोक में स्वीकृत राशि का 32 प्रतिशत की राशि का विमुक्त्यादेश सक्षम प्राधिकार का अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है। उक्त के आलोक में खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना का नियमित संचालन एवं अन्य कार्य उपलब्ध करायी गयी राशि से की जा सकती है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना के लिए सहायक अनुदान गैर वेतन मद में स्वीकृत की गयी रु०-25,00,000=00 (पच्चीस लाख रुपये) मात्र में से द्वितीय चौमाही अन्तर्गत विमुक्त की जाने वाली राशि को वेतन एवं पेंशनादि मद में व्यय नहीं किया जा सकता है। अतएव, उक्त मद में रु०-8,00,000=00 (आठ लाख रुपये) मात्र के राशि का व्यय की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

आदेश-स्वीकृत।

महाशय,

2. खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-30, दिनांक-25.05.2026 द्वारा निम्न प्रकार से क्रमांक-01 में राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त राशि में से तत्काल द्वितीय चौमाही अन्तर्गत विमुक्त की जाने वाली राशि का विवरण क्रमांक-02 में निम्नवत् है:-

क्र. सं.	0009-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद	राशि
1.	वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत की गयी राशि	25,00,000=00
2.	द्वितीय चौमाही अन्तर्गत विमुक्त की जाने वाली राशि @32%	8,00,000=00

Signature

3. विमुक्त की जाने वाली राशि का विकलन खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना के बजटीय शीर्ष अन्तर्गत व्यय का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105- सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष-0009-खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना विपत्र कोड-21-2205-00-105-0009, विषय शीर्ष-0009-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद के अन्तर्गत होगा।
4. उक्त आवंटन को उप निदेशक प्रशासन-सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के द्वारा **C.F.M.S 2.0** से आवंटित करते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उक्त राशि निदेशक, पुस्तकालय-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो राशि की निकासी, पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर **CFMS 2.0** प्रणाली के तहत BTC 42 पर पटना कोषागार, पटना से निकासी कर पुस्तकालय निदेशालय के बैंक ऑफ बड़ौदा, पटना मुख्य शाखा, पटना के **IFSC CODE-BARBOPATNAX, A/C No-00030100018204** में तत्काल सुरक्षित रखते हुए **RTGS** के माध्यम से संबंधित पुस्तकालय के सचिव को राशि पुस्तकालय के लेखा में उपलब्ध करायेगें साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगे कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष का संबंधित पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ली गई है। इसके उपरान्त ही पुस्तकालय के सचिव को राशि भुगतान किया जायेगा।
6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग, वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार एवं महालेखाकार बिहार, पटना को लेखा का अंकेक्षण निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पुस्तकालय के संबंधित सचिव इस राशि का लेखा का संधारण अलग से करेंगे।
7. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र (फार्म-42 ए0) में विधिवत भरकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण के साथ निर्धारित अवधि में विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।
8. 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।
9. राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय वेतन एवं पेंशनादि मद में भुगतान हेतु नहीं किया जायेगा।
10. राशि की निकासी वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं0-2561 दिनांक-17.04.1998, वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था संबंधित पत्रांक-314, दिनांक-01.04.2026 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।

11. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार-54/2019 के नोट-48/टि० पर दिनांक-21.08.2026 को प्राप्त है।
12. संचिका संख्या-पु०/सू०/केन्द्र/नि०/प्राधिकार-54/2019 के नोट-52/टि० पर दिनांक-01.09.2026 को राशि की निकासी पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
13. सहायक अनुदान राशि का अन्य मदों पर विचलन नहीं किया जायेगा।
14. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-पु०/सू०/केन्द्र/नि०/प्राधिकार-54/2019-..... पटना, दिनांक.....

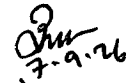
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-पु०/सू०/केन्द्र/नि०/प्राधिकार-54/2019-105 पटना, दिनांक-07/09/2026

प्रतिलिपि:- निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी/बजट प्रशाखा-05 शिक्षा विभाग, बिहार पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार, बिहार पटना/लेखा/स्थापना पुस्तकालय निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना एवं आईटी मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



सरकार के उप सचिव